Tele 0364- 2223929
Fax 0364- 2504526

No. SHG/2/NOTIFICATION/2016/5109
Cantonment Board,
Post Box No.83,
Shillong (Meghalaya) 793001.

Dated the 22 July, 2016

## PUBLIC NOTICE

The Draft Rules regarding the Cantonments (Execution of Warrant for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules 2016 (Published vide Government of India, Ministry of Defence Notification S.R.O 08 ( E ) dated 12.07.2016) both in English/Hindi version is hereby made available at the office of the Cantonment Board Shillong for the general public of Shillong Cantonment and the same is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land and Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 110011.

The said Draft Rules is also available at www.egazette.nic.in and Cantonment Board Shillong's website- www.cbshillong.org.in .

Sd/-

Vishwas Sohal, IDES
Chief Executive Officer
Shillong Cantonment Board

Distribution:-

1. Cantt. Board Office Notice Board
2. Cantt. Public Notice Board at Cantt. Bazar
3. Cantt. Public Notice Board at J.R.G Hospital
4. Cantt. Public Notice Board at Cantt. Board School
5. Cantt. Board Community Hall , Jhalupara
6. SCBVTC Notice Board
7. G.E Shillong Notice Board
8. Station Cell Notice Board

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938
No. 07] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

## रक्षा मंत्रालय

## सार्वजनिक नोटिस

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

**का.नि.आ. 8(अ).**—निम्नलिखित नियमों का प्रारुप जिन्हें केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 105 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है और छावनी (स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट का निष्पादन) नियम, 1986 उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियम केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख जिसके इस अधिसूचना से प्रभावित राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाती है अथवा साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारुप के संबंध मे किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त अवधि समाप्त होने से पहले विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, को निदेशक (भूमि और छावनी) रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली – 110011 को भेजे जाएं।

### प्रारुप नियम

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट का निष्पादन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाए.**—इन नियमों मे जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "स्थावर संपत्ति" से वह अभिप्रेत है संपत्ति का अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) में परिभाषित अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और अभ्युक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के अर्थ वही होंगे जो कि अधिनियम में है।

3. **विक्रय की कार्यवाही का प्रारंभ**.—जहां अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत किसी आदेश द्वारा कोई स्थावर संपत्ति कुर्क की गई है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कुर्की के पंद्रह दिन की समाप्ति पर इस प्रकार कुर्क की गई स्थावर संपत्ति को विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा।

4. **लोक नीलामी द्वारा विक्रय करना**.—कुर्क की गई स्थावर संपत्ति या उसके पर्याप्त भाग (यदि वह विभाज्य है), यदि उसे सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता है, का प्रत्येक विक्रय मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश से लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा। किसी स्थावर संपत्ति को सुविधापुर्वक पृथक किया जा सकता है या नहीं, इसका विनिर्णय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा।

5. **विक्रय की सूचना**.— (1) इन नियमों के अधीन लोक नीलामी द्वारा प्रत्येक आशयित विक्रय की सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को प्रकृति और मूल्य को ध्यान में रखते हुए और जितनी भी बार मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेश दें ऐसे कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों में, जो स्थानीय क्षेत्रों में परिचालन में हैं, प्रकाशित की जाएगी।

(2) नोटिस में विक्रय की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और इसमें संपत्ति का विवरण और विशिष्टियां होंगी।

6. **विक्रय की शर्तें**.— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एक आरक्षित बोली नियत करेगा, जो विक्रय से पूर्व या विक्रय के समय या उसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी। प्रत्येक विक्रय को ऐसी शर्तों से विनियमित किया जाएगा जो साधारणतः प्ररुप 1 में विनिर्दिष्ट शर्तो के अनुरुप होगी। उससे होने वाला कोई विचलन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा और प्रधान निदेशक द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित किया जाएगा। सूचना और प्रारुप 1 में विनिर्दिष्ट विक्रय की शर्तों की एक प्रति संपत्ति के सहजदृश्य भाग पर और छावनी बोर्ड के कार्यालय के सहज दृश्य भाग पर और जहां संपत्ति ऐसी भूमि है जिस पर सरकार को राजस्व दिया जा रहा है वहां उस जिले के कलक्टर के कार्यालय में भी, जहां भूमि स्थित है और ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें बोर्ड निर्दिष्ट करे, लगाई जाएगी।

7. **विक्रय की मुल्तवी**.— यदि कोई बोली नहीं होती है या सबसे ऊंची बोली आरक्षित कीमत से कम होती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी विक्रय को मुल्तवी कर देगा और नियम 5 में निहित उपबंधों के तहत इस की पुनः नीलामी करेगा।

8. **निक्षेप तत्काल किया जाएगा**.— यदि निक्षिप्त की जाने वाली रकम तुरंत संदत्त नहीं की जाती है या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास निक्षिप्त नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति की बोली, जिसे अन्यथा क्रेता घोषित किया जाता, नामंजूर कर दी जाएगी और संपत्ति को तुरंत विक्रय के लिए फिर रखा जाएगा।

9. **बोली आरक्षित कीमत से कम होने पर कब स्वीकृत की जा सकती है**.— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और प्रधान निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी बोली को स्वीकार कर सकेगा, जो आरक्षित कीमत से कम है।

10. **विक्रय के आगम का उपयोजन**.— मुख्य कार्यपालक अधिकारी विक्रय के आगम या उसके किसी भाग का उपयोजन वहां करेगा जहां देय राशि के उन्मोचन और वसूली के खर्चे के लिए अपेक्षित होगी। विक्रय और स्थावर संपत्ति की कुर्की के लिए फीस, यदि कोई हो, को भी वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

11. **अधिशेष रकम का प्रतिदाय**.— अधिशेष रकम, यदि कोई हो, तत्काल छावनी निधि में जमा की जाएगी और उसकी विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित आवेदन देकर दावा किया जाएगा और उसका प्रतिदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके कब्जे में कुर्की के समय संपत्ति होगी ऐसी अधिशेष रकम जिसका दावा पूर्वोक्त छह मास के भीतर नहीं किया जाएगा, बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी।

12. **वारंट का निलम्बन**.— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वारंट को उस दशा में निलंबित या रद्द कर सकेगा, जहां उसका यह समाधान हो गया है कि ऐसा निलंबन मामले की परिस्थितियों द्वारा आवश्यक है या जहां देय राशि और अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (4) में विहित वसूली के खर्च व्यतिक्रमी द्वारा संदत्त कर दिए गए हैं।

13. **विक्रय की गई संपत्ति से बेदखली**.— मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (5) के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई में बाधा डालता है, स्थावर संपत्ति से बेदखल कर सकेगा और ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा जो उक्त संपत्ति में प्रवेश करने के लिए युक्तिकरण रुप से आवश्यक हो।

**14. फीस प्रभारित करना**.— जारी किए गए प्रत्येक वारंट या की गई कुर्की के लिए फीस, ऐसी दरों से जो 2500 रु. से कम और पांच हजार रु. से अधिक नहीं होंगी, जिसे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रभावित की जाएगी और ऐसी फीस को वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

**15. फीस की माफी**.— बोर्ड स्वविवेकानुसार नियम 14 के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण फीस या उसके भाग को माफ कर सकेगा।

**16. संपत्ति पर दावा प्रस्तुत करने की रीति**:– किसी कर का संदाय करने के दायित्वधीन किसी व्यक्ति से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कुर्क की गई संपत्ति की बाबत कोई दावा है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

**17. निष्पादन का निलंबन**.— मुख्य कार्यपालक अधिकारी दावा प्राप्त होने पर, दावे की जांच होने तक वारंट का निष्पादन निलंबित कर देगा।

**18. निपटारा की नीति**.— (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को, दावे की एक प्रति देगा और उसे उसी समय एक लिखित सूचना देगा, जिसमें उससे अपना उत्तर, यदि कोई हो, ऐसी नोटिस के तामील होने के सात दिन के भीतर, देने की अपेक्षा, करेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर और दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दावे के संबंध में आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा।

(3) सुनवाई के समय, पक्षकार स्वयं या काउन्सिल के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

(4) यदि दावा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, तो विक्रय की कार्यवाही उसके द्वारा पारित आदेश के अधीन रहते हुए होगी;

परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्वविवेकानुसार, विक्रय की कार्यवाही के बजाय संपत्ति को कुर्की से निर्युक्त कर सकेगा।

(5) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी दावे को नामंजूर कर देता है तो वह अधिनियम में और इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित स्थावर संपत्ति के विक्रय की कार्यवाही करेगा।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के किसी दावे को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी बात से कुर्क की गई स्थावर संपत्ति में दावेदार को कोई अधिकार हक या हित प्रदान किया गया नहीं समझा जाएगा।

**प्ररूप संख्या 1**

**स्थावर संपत्ति के विक्रय की शर्तें**

1. संपत्ति विक्रय के लिए ऐसी राशि पर रखी जाएगी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी विक्रय के समय नियत करे। सबसे उंची बोली लगाने वाला व्यक्ति क्रेता होगा। यदि संपत्ति के लिए अंतिम या सबसे ऊंची बोली के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी बोली फिर लगाई जाएगी और उसका फिर विक्रय किया जाएगा।

2. कोई भी व्यक्ति किसी बोली पर उतनी राशि से कम का अग्रिम नहीं देगा जितनी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी या बोली वापस नहीं लेगा।

3. विक्रय ऐसी आरक्षित राशि के अधीन रहते हुए, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी।

4. क्रेता विक्रय के समय, अपनी बोली के लिए बोली पत्र पर अपना नाम और पता लिखेगा और ऐसे पते पर क्रेता के लिए छोड़ी गई सभी लिखित सूचनाएं तथा संसूचनाएं उसे सम्यक रूप से परिदत्त और तामील की गई समझी जाएगी, तब तक कि उसका प्रतिनिधित्व किसी एटर्नी या अधिवक्ता द्वारा न किया गया हो।

5. क्रेता (सफल बोलीदाता) विक्रय के समय अपने विक्रय धन की रकम पर पच्चीस प्रतिशत का निपेक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदाय करेगा, जिसके न होने पर संपत्ति को उसी समय पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा और उसका पुनः विक्रय कर दिया जाएगा।

6. क्रेता, विक्रय के दिन से एक कैलेंडर मास के भीतर अपने क्रय धन की रकम (निपेक्ष के रूप में संदत्त रकम की कटौती करने के पश्चात) का संदाय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को करेगा। यदि वह इस प्रकार संदत्त नहीं की जाती है, तो क्रेता अपने क्रय धन पर, विक्रय के एक कैलेंडर मास (या ऐसी लंबी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए) की समाप्ति से उस दिन तक जिसको उसका वस्तुतः संदाय कर दिया जाता है, इस शर्त के साथ नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय करेगा कि क्रेता विक्रय के नब्बे दिन के भीतर पूरे क्रय धन का भुगतान करेगा, ऐसा करने में असफल रहने पर विक्रय प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा और अग्रिम जमा यानी रकम का 25% भाग जब्त कर लिया जाएगा।

7. पूर्वोक्त रीति से क्रय धन का संदाय करने पर, क्रेता उस संपत्ति (के ऐसे भागों को) (जो खाली हैं), के कब्जे और ऐसे संदाय के दिन से उन भागों के किराए और उनसे होने वाले लाभों का हकदार हो जाएगा।

8. क्रेता, क्रय धन के संदाय के दिन से पूर्व के किसी व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा और किराए तथा व्यय, यदि आवश्यक हुआ तो, क्रेता और व्यतिक्रमी के बीच मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रभाजित किए जाएंगे। संपत्ति के लिए क्रय धन का संदाय कर दिए जाने पर, क्रेता अपने व्यय पर ऐसे कदम उठाएगा जो उस संपत्ति के क्रेय या कब्जा करने के लिए आवश्यक हो और मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसे इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा कि उसने वह संपत्ति क्रय की है जिससे यह प्रमाण पत्र संबंधित है। ऐसे प्रमाण पत्र का स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस क्रेता देगा।

9. यह विश्वास किया जाता है कि संपत्ति का विवरण सही है और उसे सही समझा जाएगा। यदि संपत्ति की विशिष्टियों या विवरण में कोई गलती या अयथार्थ कथन या लोप किए जाने का पता चलेगा तो ऐसी गलती, अयथार्थ कथन या लोप से न तो विक्रय निष्प्रभाव होगा, न ही क्रेता को उसके क्रेय से उन्मोचित किया जाएगा, और न ही उसकी बाबत क्रेता को कोई प्रतिकर किया जाएगा।

10. उक्त संपत्ति की बावत संपत्ति कर राज्य सरकार को देय भू-राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए उक्त संपत्ति पर प्रथम प्रभार होंगे।

11. क्रेता से, विक्रय के लिए रखी गई संपत्ति का हक प्रस्तुत करने या उसकी बावत अन्वेषण करने या कोई आपेक्ष या अध्यपेक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी बल्कि वह यह मानेगा कि संपत्ति के स्वामी को उक्त संपत्ति में उस समय बोर्ड द्वारा बनाए गए सामान्य भूमि रजिस्टर के अनुसार वैध अधिकार और हक होगा और इस विक्रय के माध्यम से संपत्ति केवल अंतरित होगी।

12. संपत्ति, विद्यमान अभिधृतियों और उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सभी अधिकारों और सुखाचारों, यदि कोई हो, और उक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की सभी सूचनाओं के अधीन रहते हुए, विक्रय की गई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अधिकार या सुखाचार के बारे में पता नहीं है।

13. उक्त संपत्ति, अग्नि या अन्यथा के बारे में क्रेता की जोखिम पर उसी क्षण से होगी जब उसकी बोली उसके पक्ष में खत्म हो जाती है।

14. यदि क्रेता ऊपर विनिर्दिष्ट समय पर या किसी ऐसे अन्य समय पर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियत करे, अपने क्रय धन का संदाय नहीं करेगा, तो निपेक्ष के रूप में संदत्त रकम बोर्ड को समपहृत हो जाएगी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संपत्ति का पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

**प्ररूप संख्या 2**

**(बोली-पत्र का प्ररूप)**

संदर्भ : .................................................. वाली संपत्ति की नीलामी विक्रय

वार्ड सं. ..........................................................................................................

गली सं. .........................................................................................................

स्थान ............................................................................................................

मैंनें, जिसका नाम इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है, ............ दिन.......... (माह) दो हजार और ......................... ...... को नीलामी द्वारा विक्रय में अपने नाम के सामने लिखी गई राशि के लिए बोली लगाई और ऐसे विक्रय के समय प्रस्तुत की गई शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे विक्रय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त संपत्ति का क्रेता हो गया :

| सबसे ऊंची बोली की रकम | प्राप्त निपेक्ष की रकम | शेष शोध्य की रकम | क्रेता के हस्ताक्षर | क्रेता का पता और विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

[फा. सं. 14(5)/2015-D (Q&C)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th July, 2016

**S.R.O. 8(E).**—The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 105 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) and in supersession of the Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and sale of immovable property) Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by sub-section (1) of section 346 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land & Cantonment) Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 110011.

## DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "immovable property" means as defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);

(d) words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. **Commencement of proceeding of sale.—**Where an immovable property has been attached by an order under section 105 of the Act, the Chief Executive Officer shall, on expiry of fifteen days from the date of attachment proceed to dispose of the immovable property so attached by sale.

4. **Sale to be by public auction.—**Every sale of immovable property attached or sufficient portion thereof (if it is divisible), if the same can be conveniently severed, shall be made by public auction by order of the Chief Executive Officer. The decision, whether an immovable property can be conveniently severed shall be made by the Chief Executive Officer with the prior approval of the Board.

5. **Notice of sale.—** (1) A notice of every intended sale by public auction under these rules shall be published in at least two newspapers in circulation in the local areas, and as often as the Chief Executive Officer shall direct, having regard to the nature and value of the property to be sold.

(2) The notice shall specify the date, time and place of sale and shall contain a description and particulars of the property.

6. **Conditions of sale.—**The Chief Executive Officer shall fix a reserved price which shall not be divulged to any person before, at or after the sale. Every sale shall be regulated by conditions which shall generally conform to those specified in Form No. 1. Any deviation therefrom shall be determined by the Board and duly approved by the Principal Director. A copy of the notice and conditions of sale as specified in Form No.1 shall be fixed on a conspicuous part of the property and upon the notice board of the office of the Cantonment Board and also, when the property is land paying revenue to the Government, in the office of the Collector of the district in which the land is situated and at such other places as the Chief Executive Officer may direct.

7. **Postponement of Sale.—**If there be no bid or the highest bid be below the reserve price, the Chief Executive Officer shall postpone the sale and shall reauction it as per the provisions contained in rule 5.

8. **Deposit to be made forthwith.—**If the amount to be deposited be not at once paid to or deposited with the Chief Executive Officer, the bid of the person, who would otherwise have been declared to be the purchaser in Form No. 2, shall be rejected and the property shall immediately be again put up for sale.

9. **When bid less than the reserved price can be accepted.—**The Chief Executive Officer may, for reasons to be recorded in writing, and subject to the prior approval of the Principal Director accept a bid for less than the reserved price.

10. **Application of sale proceeds.—**The Chief Executive Officer shall apply the proceeds of sale or such part thereof as shall be required in discharge of the sum due and of the costs of recovery. The fees, if any, for the sale and attachment of immovable property shall also be included in the costs of recovery.

11. **Refund of surplus amount.—**The surplus, if any, shall be forthwith credited to the Cantonment Fund and the same be claimed by written application to the Chief Executive Officer within six months from the date of sale and the refund thereof shall be made to the person in possession of the property at the time of the attachment and any surplus not claimed within six months as aforesaid, shall be the property of the Board.

12. **Suspension of warrant.—**The Chief Executive Officer may suspend or cancel the warrant where he is satisfied that such suspension is warranted by the circumstances of the case or where the sum due and the costs of recovery have been paid by the defaulter as prescribed in sub-section (4) of section 105 of the Act.

13. **Eviction from the property sold.—**The Chief Executive Officer may cause the eviction of any person who obstructs any action taken in pursuance of sub-section (5) of section 105 of the Act from the immovable property by any police officer and may also use such force as is reasonably necessary to effect entry on the said property.

14. **Fee to be charged.—**For every warrant issued or attachment made, fees shall be charged at such rates not less than rupees two thousand five hundred and not more than rupees five thousand as the Board may, from time to time, specify and such fees shall be included in the costs of recovery.

15. **Remission of fee.—**The Board may, in its discretion, remit the whole or part of any fee chargeable under rule 14.

16. **Manner of preferrring claim over property.—**A person, other than the person liable for the payment of any tax, who has any claim in respect of a property attached may prefer a claim in writing to the Chief Executive Officer within fifteen days from the date of attachment.

17. **Suspension of execution.—**The Chief Executive Officer shall, on receipt of the claim suspend the execution of the warrant pending enquiry into the claim.

18. **Manner of settlement.—** (1) The Chief Executive Officer shall furnish a copy of the claim to the person liable for the payment of any tax and at the same time give written notice calling upon him to submit his reply, if any, within seven days of service of such notice.

(2) The Chief Executive Officer shall, on receipt of the reply, if any, and after giving both the parties an opportunity of being heard, pass an order with regard to the claim which shall be final.

(3) At the hearing, the parties may represent in person or through a counsel.

(4) If the claim is allowed by the Chief Executive Officer, the sale proceedings shall be subject to the order passed by him:

Provided that the Chief Executive Officer may, in his discretion, release the property from attachment instead of proceeding with the sale.

(5) If the Chief Executive Officer rejects the claim, he shall proceed with the sale of the immovable property as provided for in the Act and under these rules.

(6) Nothing in the order of the Chief Executive Officer accepting a claim shall be deemed to confer on the claimant any right, title or interest in the immovable property attached.

## FORM No. 1

### Conditions of Sale of Immovable Property

1. The property shall be put up for sale at a sum to be fixed by the Chief Executive Officer at the time of sale. The highest bidder shall be the purchaser. If any dispute arises as to the last or highest bidding for the property, the same shall be put up again at a former bidding and re-sold.

2. No person shall at any bidding advance a sum less than the sum fixed by the Chief Executive Officer or retract a bid.

3. The sale is subject to a reserved price which will be fixed by the Chief Executive Officer.

4. The purchaser shall at the time of sale subscribe his name and address to his bidding in the Bidding Paper and all written notices and communications shall be deemed duly delivered to and served upon the purchaser by being left for him at such address unless or until he is represented by an Attorney or Advocate.

5. The purchaser (successful bidder) shall at the time of auction pay a deposit of twenty-five percent of the amount of purchase money to the Chief Executive Officer failing which the property shall be again immediately put up for auction and re-sold.

6. The purchaser shall pay the amount of his purchase money (after deducting the amount paid as a deposit) to the Chief Executive Officer within one calendar month from the day of sale. If the same be not so paid, then the purchaser shall pay interest on his purchase money at the rate of nine per cent per annum from the end of one calendar month from the day of sale (or such longer period as may be allowed) to the day on which the same is actually paid subject to the condition that full amount of purchase shall be paid by the purchaser within 90 days from the day of sale, failing which the sale offer be treated as cancelled and the advance deposited i.e., 25% of purchase value shall be forfeited .

7. Upon payment of the purchase money in full in the manner aforesaid, the purchaser shall be entitled to possession of (such parts of) the property (as are vacant) and to the rents and profits of such parts as are let as from the day of such payment.

8. The purchaser shall not be liable to pay any outgoings previous to the day of payment of the purchase money and rents and outgoings shall be apportioned between the purchaser and the defaulter by the Chief Executive Officer, if necessary. On the purchase money for the property being paid the purchaser shall at his own expense take such steps as may be necessary for the purchase or obtaining possession of the said property and the Chief Executive Officer shall grant him a certificate to the effect that he has purchased the property to which the certificate relates. The stamp duty and registration fee on such certificate shall be borne by the purchaser.

9. The description of the property is believed to be correct and shall be taken as correct. If any error or mis-statement or omission shall appear to have been made in the particulars or description of the property, such error mis-statement or omission shall not annul the sale nor entitle the purchaser to be discharged from his purchase, nor shall any compensation be made to the purchaser in respect thereof.

10. Property taxes in respect of the said property are first charges on the said property subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the State Government

11. The purchaser shall not require the production of or investigation into or make any objection or suggestion in respect of the title of the property put up for sale but shall assume that the nature of the ownership right conferred on the owner of the property as per General Land Register maintained by the Board shall only transfer through the said sale.

12. The property is sold subject to existing tenancies and to all rights and easements, if any, affecting the same and subject to all notices of any kind relating to the said property. The Chief Executive Officer is not aware of any such right or easement affecting the said property.

13. The said property shall be at the risk as to fire or otherwise of the purchaser from the moment the same is knocked down to him

14. If the purchaser shall not .pay his purchase money at the time above specified or at other time which may be fixed by the Chief Executive Officer, the amount paid as a deposit shall be forfeited to the Board and the Chief Executive Officer shall be at liberty to re-sell the property.

**FORM No. 2**

**(Form of Bidding Paper)**

Re: Auction sale of the property bearing .......................................................................

Ward No.........................................................................................................................

Street No........................................................................................................................

Situate at .......................................................................................................................

I, whose name is hereunder subscribed, bid at the sale by auction on the ..................... day of ............................ (month), two thousand and ................................ the sum set opposite to my name for, and became the purchaser of the above property specified in the notification of such sale, subject to the conditions produced at such sale:

| Amount of highest bidding | Amount of deposit received | Amount of remaining due | Signature of the purchaser | Purchaser's address and description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

[F. No. 14(5)/2015-D (Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.